कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री अनिल संत,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **सर्वश्री कल्याणी इंजीनियरिंग कम्पनी ,।।3/2,प्रथम तल नवयुग मार्केट,गाजियाबाद ।**

प्रा0प0सं0- **359/2008**

प्रार्थी की ओर से- **श्री गनेश शर्मा,अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगत निर्णय

।- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 25-8-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यापारी द्वारा यह जानकारी चाही गयी है कि-

विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के सहविकास कर्ता होने के नाते ।

1- क्या विद्युत संविदा के अन्तर्गत टी0डी0एस0कटना है अथवा नहीं ?

2- विद्युत संविदा के अन्तर्गत खरीदे गये माल पर कोई कर देय होगा अथवा नहीं?

व्यापारी द्वारा बताया गया कि S E A V I E W DEVELOPERS LIMITED को भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय(वाणिज्य विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना ,नई दिल्ली दिनांक 12-7-07 के द्वारा S E A V I E W DEVELOPERS LIMITED को उत्तर प्रदेश राज्य में प्लाट संख्या 20 तथा 21,सेक्टर-35,नोएडा में सूचना प्रौद्यौगिकी के लिये एक क्षेत्र विशिष्ट आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशिष्ट आर्थिक अधिनियम 2005 की धारा-3 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्लाट संख्या 20 तथा 21,सेक्टर-35,नोएडा में सूचना प्रौद्यौगिकी के लिये एक क्षेत्र विशिष्ट आर्थिक जोन की स्थापना हेतु दिनांक 21-6-06 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 के संख्या-क0नि0-2-2027/ग्यारह-9(15)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(26)-2008 दिनांक 30-6-08 से अधिसूचना निम्न प्रकार से जारी की गयी हैः-

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008(उत्तर प्रदेश अधिनियम 2005 सन् 2008)की धारा 74 के साथ पठित धारा 7 के खण्ड(ग)के अधीन शक्ति का प्रयोग करके , राज्यपाल,डोमेस्टिक टेरिफ एरिया के अथवा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के अन्दर व्यवहारो द्वारा विशेष आर्थिक परिक्षेत्रो के विकासकर्ता,सहविकास कर्ता तथा वहॉ स्थापित इकाईयो को कमिश्नर,वाणिज्य कर ,द्वारा निहित प्रारुप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर विकास आयुक्त द्वारा प्राधिकृत "आपरेशन्स"हेतु बेचे गये माल को एक माल विनिर्दिष्ट करते है जिसके पर दिनांक । जनवरी,2008 से कोई की उद्ग्रहीत या भुगतान नहीं किया जायेगा ।

क्रमशः 2 पर

सर्वश्री कल्याणी इंजीनियरिंग कम्पनी ,113/2,प्रथम तल नवयुग मार्केट,गाजियाबाद

प्रा0प0सं0-359/2008

व्यापारी द्वारा यह भी बताया गया कि वह उक्त विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में S SEA V I E W DEVELOPERS LIMITED के सहविकास कर्ता है अतः उनके द्वारा उपरोक्त क्षेत्र में जो इन्टरनल इलेक्ट्रिकल का कार्य किया जायेगा उसके लिये टी0डी0एस0 कटना है अथवा नहीं , की जानकारी चाही गयी है।

2- व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-। वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन, गाजियाबाद से पत्र संख्या-1126 दिनांक 10-9-09 से आख्या मांगी जो पत्र संख्या-340दिनांक 4-104-08 से प्राप्त हुई है जिसके अनुसार व्यापारी एक संविदाकार है तथा उनके द्वारा विद्युत संविदा से प्राप्त अनुबन्ध के अन्तर्गत व्यापार स्थल में स्थापित इकाई जोन से बाहर है इस कारण कारण विशेष जोन से सम्बन्धित जो लाभ है वह व्यापारी को अनुमन्य नहीं होगे। अतः विज्ञप्ति संख्या-2027 दिनांक 30-6-08 का लाभ व्यापारी को देय नहीं है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री गनेश शर्मा,अधिवक्ता उपस्थित हुयें और प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया।व्यापारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में SEA V I E W DEVELOPERS LIMITED के मध्य हुये समझौते की प्रति दाखिल नहीं की गयी है केवल उक्त समझौते की अन्तिम दो-तीन पन्नों की प्रति दाखिल की गयी है।

4- मैनें व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों,प्राप्त विभागीय आख्या का परीक्षण किया गया तथा विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुना गया । व्यापारी द्वारा SEA V I E W DEVELOPERS LIMITED के मध्य हुये कान्ट्रैक्ट की कोई कापी प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उक्त व्यापारी उक्त मामले में सहविकास कर्ता है। व्यापारी द्वारा केवल SEA V I E W DEVELOPERS LIMITED के मध्य हुये कान्ट्रैक्ट मे से केवल टर्म्स एंड कंडीशन की प्रति प्रस्तुत की गयी है। कान्ट्रैक्ट की पूर्ण प्रति दाखिल नही की गयी है । उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-7(c) के अर्न्तगत खरीद/बिक्री से सम्बन्धित है तथा टी0डी0एस0 के प्राविधान पर कोई विज्ञप्ति नही है । धारा-7(c) मे टी0डी0एस0 के प्राविधान लागू नही होते है । टी0डी0एस0 मे उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-34 के प्राविधान लागू होते है । चूकिं विद्युत कान्ट्रैक्ट की पूर्ण प्रति प्रस्तुत नही की गयी है । अतः विद्युत कान्ट्रैक्ट के अभाव मे द्वितीय प्रश्न का उत्तर दिया जाना सम्भव नही है ।

क्रमशः 3 पर

सर्वश्री कल्याणी इंजीनियरिंग कम्पनी, 113/2, प्रथम तल नवयुग मार्केट, गाजियाबाद
प्रा0प0सं0-359/2008

अतः वर्णित परिस्थितियों में व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ग्राहय न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

5- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 21, जुलाई, 2009

ह0 21.7.09
(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रमाणित प्रतिलिपि
21/7/09